न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 00458/2019/223

1. लादूराम पुत्र स्व0 चन्दनमल ब्राह्मण, निवासी ग्राम शिखरानी, तहसील विजयनगर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, विजयनगर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला कलक्टर, मसूदा दिनांक 16.2.2018 अंतर्गत वाद संख्या 10/2015.

उपस्थितः—

1. श्री शान्तिप्रकाश औझा, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1.

निर्णय

दिनांकः— 11.2.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला कलक्टर, मसूदा के आदेश दिनांक 16.2.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 2175/4511 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा जो मौजा शिखरानी में स्थित है । उक्त आराजी साबिक खसरा नंबर 2675 से बना है जिसमें से 7 बीघा भूमि वादी को आवंटन की गई थी जिसका इंद्राज जमाबंदी संवत् 2024 से 2027 में वादी को गैर खातेदार दर्ज किया गया । वादी आवंटित भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है । वादी की जानकारी के बिना भू—संशोधन के दौरान विवादित भूमि को सरकारी खाते में दर्ज कर दिया गया । विवादित भूमि सिवायचक दर्ज किये जाने से वादी के खिलाफ धारा 91 भू—राजस्व अधि0 की कार्यवाही की जा रही है तथा अन्य आधार अंकित कर वाद अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 16.2.2018 द्वारा वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर आराजी खसरा नंबर 2175/4511 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा वादी के कब्जे में होना मानकर नियमन करने हेतु नियमन आवंटन कमेटी में प्रकरण भेजे जाने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16.2.2018 जिसके द्वारा वादी का वाद पूर्ण रूप से डिक्री नही किया गया है जो विरूद्ध न्याय, नियम एवं रिकार्ड के होने से काबिल निरस्तनीय है । वर्किंग जमाबंदी से पूर्व राजस्व रिकार्ड

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

में वादी को विवादित आराजी आवंटित होकर गैर खातेदारी वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी इसलिये भू–प्रबंध विभाग को विवादित आराजी सिवायचक दर्ज करने का कोई हक व अधिकार नहीं था । इसके बावजूद विवादित आराजी को गलत रूप से सिवायचक दर्ज करने के आधार पर वादी ने वाद पेश किया था किन्तु अधी0न्याया0 ने वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया है जबकि अधी0न्याया0 को वादी का वाद पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिये था । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी ने खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया था जिसमें यह निवेदन किया था कि विवादित आराजी वादी को आवंटित होकर जमाबंदी संवत् 2024 से 2027 में गैर खातेदारी दर्ज है लेकिन वर्किंग जमाबंदी में उक्त आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया है । वादी के इस कथन को प्रतिवादी/रेस्पो0 ने भी अपने जवाब में स्वीकार किया है जिससे वादी का वाद पूर्ण रूप से स्वीकार योग्य था । विवादित आराजी वादी को आवंटित भूमि थी इस कारण अधी0न्याया0 को पुनः नियमन करने के आदेश पारित करने के बजाय वादी का वाद डिक्री करना चाहिये था । वादी ने विवादित आराजी पर अपना कब्जा काश्त साबित किया है । अधी0न्याया0 को वाद आंशिक रूप से स्वीकार करने के बजाय पूर्ण रूप से डिक्री करना चाहिये था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त कर वादी द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण वाद डिक्री किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 2019 पेज 513 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 16.2.2018 द्वारा वादी के वाद को आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण को नियमन करने हेतु नियमन आवंटन कमेटी को भेजे जाने के आदेश प्रदान किये थे लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई । इसके बाद वर्तमान कैम्प जो वर्ष 2018 में राज्य सरकार द्वारा लगाये गये थे उक्त कैम्प में भी प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र उक्त आदेश की पालना में पेश दिनांक 28.6.2018 को पेश किया था लेकिन प्रार्थी को जानकारी व सुनवाई किये बगैर उक्त प्रार्थना पत्र भी खारिज कर दिया गया जिस पर कोई दिनांक अंकित नहीं है । प्रार्थी ने उक्त संदर्भ में जानकारी चाही तो उक्त प्रार्थना पत्र खारिज होना बताया जिस पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 8.11.2019 को सभी संबंधित नकले प्राप्त कर अधिवक्ता से संपर्क कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि विवादित भूमि ग्राम शिखरानी में अवस्थित है तथा ग्राम शिखरानी पैरा–फैरी में है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी सिवायचक दर्ज है । वादी/अपीलांट का कब्जा केवल मात्र 4 बीघा 11 बिस्वा पर बतौर अतिक्रमी की हैसियत से है न कि संपूर्ण 7 बीघा भूमि पर । इसी कारण अधी0न्याया0 ने अपीलांट के प्रकरण को आवंटन कमेटी के समक्ष रखे जाने के आदेश पारित किये थे जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को गुणागुण

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद पेश कर कथन किया कि मौजा शिखरानी तहसील विजयनगर की जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के अनुसार खसरा नंबर 2175/4511 रकबा 4–11–00 स्थित है । उक्त आराजी साबिक खसरा नंबर 2675 से बना है । उक्त खसरा नंबर 2675 रकबा 7 बीघा भूमि वादी को आवंटन की जाकर संवत् 2024 से 2027 की जमाबंदी में गैर खातेदार दर्ज किया गया जिस पर वादी का पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है । किन्तु भू–संशोधन के दौरान वादग्रस्त भूमि को सरकारी खाते में दर्ज कर दिया गया । अतः वाद स्वीकार कर वादी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 16.2.2018 द्वारा वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर मौजा शिखरानी तहसील विजयगनर स्थित आराजी खसरा नंबर 2175/4511 रकबा 4–11–00 को वादी के कब्जे काश्त उपयोग में चली आने से उसे नियमानुसार नियमन करने हेतु प्रकरण नियमन कमेटी में भेजे जाने के आदेश पारित किये । अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर निर्णय दिनांक 16.2.2018 की पालना में कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया जिस पर अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी मय आवंटन कमेटी ने अपीलांट का प्रकरण कमेटी में रखकर पटवारी हल्का से विवादित भूमि के संबंध में जांच रिपोर्ट प्राप्त की है जिसमें पटवारी हल्का ने स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि विवादित भूमि पैरा फैरी क्षेत्र में होने से आवंटन/नियमन योग्य नहीं है । इस आधार पर अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी मय आवंटन कमेटी ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है । आवंटन कमेटी कमेटी के उक्त निर्णय से स्पष्ट है कि विवादित आराजी पैरा फैरी क्षेत्र में होने से आवंटन/नियमन योग्य नहीं है। अधी0न्याया0 द्वारा वाद संख्या 10/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.2.2018 के अनुसरण में अपीलांट का प्रकरण आवंटन कमेटी के समक्ष पेश होने पर प्रकरण में संपूर्ण तथ्यों की जांच के उपरांत प्रार्थी/अपीलांट का प्रकरण विवादित भूमि पैरा–फैरी क्षेत्र में होने से प्रार्थना पत्र निरस्त किया जा चुका है । ऐसी स्थिति में वादी/अपीलांट विवादित आराजी की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.2.2018 निरस्त योग्य होकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद निरस्त किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मसूदा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.2.2018 निरस्त किया जाता है तथा विवादित भूमि पैरा–फैरी क्षेत्र में होने से ऐसी भूमियों की खातेदारी प्रदान नही किये जाने तथा आवंटन/नियमन योग्य नहीं होने से वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद निरस्त किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 11.2.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

डिगरी सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "G"- 9)

अज अदालत **राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।**

ब इजलाश :– **श्रीमती मेघना चौधरी, आर.ए.एस.**

लादूराम पुत्र स्व0 चन्दनमल जी ब्राहम्ण, निवासी ग्राम शिखरानी, तहसील विजयनगर, जिला अजमेर।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विजयनगर, जिला अजमेर ।

अपील संख्याः 00458 सन् 2019 (2019/00458) ब नाराजगी डिगरी अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मसूदा मुबर्खे..16 माह 02 सन् 2018 प्रकरण संख्या 10/2015

दावा बाबत् : धारा 88,188 राज. काश्तकारी अधिनियम

यह अपील ब तारीख 11 माह 02 सन् 2021 रूबरू **राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर** ब हाजिरी श्री शांतिप्रकाश औझा एड़वोकेट अपीलांटस श्री धर्मवीर चौधरी राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 01 समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ है कि :–अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मसूदा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.02.2018 निरस्त किया जाता है तथा विवादित भूमि पैरा–फैरी क्षेत्र में होने से ऐसी भूमियों की खातेदारी प्रदान नहीं किये जाने तथा आवंटन/नियमन योग्य नहीं होने से वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद निरस्त किया जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक –x)रूपये – x अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का –x अदा करें।

बस्बत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 11 माह 02 सन् 2021 को जारी किया गया।

मोहर

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर।

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये	पैसे	रेस्पोडेन्ट	रूपये	पैसे
1.स्टाम्प अपील	–		1.स्टाम्प वकालतनामा		–
2.स्टाम्प वकालतनामा	–		2. स्टाम्प अर्जी		–
3. इजराय हुक्नामा	–		3. इजराय हुक्मनामा		–
4. वकील फीस बाबत्	–		4.मेहनताना वकील		–
मीजान	–		मीजान		–

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नही, दर्ज करना चाहियें।